न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर

पीठासीन अधिकारी – राकेश कुमार न्योल, आर. ए. एस.

राजस्व वाद संख्या – 96 / 2019 | दायर दिनांक – 24.07.2019

1. प्रमेंश्वरी पत्नी मनफूल
2. जयलाल
3. इन्द्रा
4. राजेन्द्र
5. रामेश्वर
6. पृथ्वी सिंह
7. छोटूराम
8. संजू
9. बंशीलाल
10. मदनलाल,

(2 से 10) पि0 मनफूल

11. कलावती पत्नी बलवन्त
12. देवकी पुत्री बलवन्त

(1 से 11) जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़

– वादी –

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लूनकरनसर।
2 जयदीप
3 राम सिंह

(2 व 3) पि0 लालचन्द जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़

4 गुड्डीदेवी पत्नी कोजाराम
5 कोजाराम पुत्र फूसाराम

(4 व 5) जाति जाट निवासी मोखमपुरा तहसील लूनकरनसर जिला बिकानेर

–प्रतिवादी –

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट एवं धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित –

1. श्री नेतराम सियाग वादी की ओर से।
2. पैरोकार राज।

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Scanned by CamScanner

—:निर्णयः—

दिनांक :— 10.12.2019

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह दावा अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट एवं 136 एल आर एक्ट पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण के पिता व पति के नाम से ग्राम महाजन खसरा न. 1754 में 38.34 हैक्टर सयुक्त खातेदारी भूमि है जो वादीगण के पिता व पति की खरीदशुदा भूमि है तथा वादीगण के पिता व पति का स्वर्गवास हो चुका है उक्त भूमि वादीगण के कब्जे काश्त में है। वादीगण के पिता व पति को मनफूल व फूलाराम दोनों नाम से पुकारा जाता है किन्तु वादीगण के पिता व पति का वास्तविक नाम मनफूल है। वादगत भूमि खरीद किये जाते समय किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होने से वादीगण के पिता व पति का नाम फूलाराम लिखवा दिया गया इसलिए वादीगण पिता व पति का नाम राजस्व रिकार्ड में अब फूलाराम के स्थान पर मनफूल नाम संशोधित करवाना चाहता है। अलग—अलग नाम होने के कारण वादीगण किसी सरकारी सुविधा को प्राप्त नहीं कर पा रहा है अतः वादीगण पिता व पति का नाम राजस्व रिकार्ड में फूलाराम के स्थान पर मनफूल की घोषणा करवाने का हकदार है। दिनांक 18.06.2019 को वादीगण द्वारा अपने पिता व पति का नाम की दुरूस्ती करवाने हेतु तहसीलदार के समक्ष निवेदन किया गया किन्तु उनके द्वारा इन्कार करने पर वादीगण को वादकारण हासिल हुआ। अतः वाद बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी डिक्री फरमाया जावे कि उपरोक्त वादगत भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता व पति का नाम फूलाराम के स्थान पर मनफूल दुरूस्त किया जावे।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। पैरोकार राज द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादीगण पिता व पति के नाम के लिए नाम परिवर्तन का अन्य विधिक उपचार उपलब्ध है एवं बैयनामा के अंदर अंकित नाम को परिवर्तन शुद्वि पत्र पंजीबद्व कराकर अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं अतः यह वाद खारिज फरमाया जावे।

3. वकील वादीगण की इकतरफा बहस सुनी गई।

वकील वादीगण ने अपनी बहस में दावा मीमो के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण के पिता व पति का नाम तहसील लूनकरनसर के ग्राम महाजन खसरा न. 1754 में 38.34 हैक्टर सयुक्त खातेदारी भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता व पति का नाम मनफूल की जगह फूलाराम लिखा गया है जबकि सही नाम मनफूल है। उक्त दोनों नाम वादीगण के पिता व पति के अलावा इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। वादगत भूमि खरीद की उस समय किसी प्रकार का परिचय पत्र नहीं लगाया जाता था व वादीगण के पिता व पति का बोलता नाम फूलाराम था इसलिए वादीगण के पिता व पति का नाम मनफूल की

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Scanned by CamScanner

जगह फूलाराम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हो गया है। वादीगण पिता व पति का नाम फूलाराम की जगह दुरूस्त करवाकर मनफूल राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है। वादीगण तहसीलदार के पास नाम दुरूस्त करवाने गया तब तहसीलदार ने नाम दुरूस्ती करने से स्पष्ट मना कर दिया। इसी दिनांक 18.06.2019 को वाद कारण उत्पन्न हुआ है, यही बिनाय दावा एवं विनाय मुखास्मत है। अतः वादीगण के पिता व पति का नाम तहसील लूनकरनसर के ग्राम महाजन खसरा न. 1754 में 38.34 हैक्टर सयुक्त खातेदारी भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता व पति का नाम मनफूल की जगह फूलाराम शुद्ध करने की घोषणा करवाना चाहता है। वकील वादीगण द्वारा वादपत्र के साथ ग्राम पंचायत रामगढ, पंचायत समिति नोहर की तस्दीक एवं आधार कार्ड, मृत्यू प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण पत्र, पहचान पत्र व जमाबन्दी आदि दस्तावेज पेश किये हैं जिनमें वादीगण के पिता व पति का नाम मनफूल अंकित है।

4. हमने वकील वादीगण की बहस के कथनों पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एंव ग्राम पंचायत रामगढ, पंचायत समिति नोहर की तस्दीक, आधार कार्ड, मृत्यू प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण पत्र, पहचान पत्र व जमाबन्दी आदि दस्तावेजों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि मनफूल व फूलाराम दोनो नाम वादीगण के पति व पिता का नाम हैं, वादीगण के पिता व पति का बोलते नाम फूलाराम से वादगत भूमि खरीद की गई इस कारण राजस्व रिकार्ड में फूलाराम नाम से अंकन हुआ है। अब वादीगण फूलाराम के स्थान पर मनफूल नाम की शुद्धि करवाना चाहता है अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है कि वादगत भूमि वादीगण के पिता व पति का नाम तहसील लूनकरनसर के ग्राम महाजन खसरा न. 1754 में 38.34 हैक्टर सयुक्त खातेदारी भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता व पति का नाम फूलाराम की जगह मनफूल दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती है। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 10.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर
(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर

ब इजलास : राकेश कुमार न्योल, आरएएस

प्रमेशवरी वगैरह **बनाम** सरकार वगैरह

उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर

दावा अंतर्गत धारा 88 आरटीए एवं धारा 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर : 96 / 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी **वकील वादीगण श्री नेतराम सियाग**, मिनजानिब मुदई **पैरोकारराज राज्य की ओर से** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि वादगत भूमि वादीगण के पिता व पति का नाम तहसील लूनकरनसर के ग्राम महाजन खसरा न. 1754 में 38.34 हैक्टर सयुक्त खातेदारी भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता व पति का नाम फूलाराम की जगह मनफूल दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार राजस्व लूनकरनसर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करें।

नीज ....- ....मुबलिक ....- ....बाबत खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... -........................... फीस सदी सालाना आज की तारीख से वसूल याबो तक ....-......................... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक **10.12.2019** को डिक्री जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी

लूनकरनसर

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Scanned by CamScanner

पी. अ. अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण आज

10.12.19 – पत्रावली पेश हुई। बहस उभय पक्ष सुनी गई। वाद वापसी स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली रहे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी